न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या **74 / 2025** अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
भेराराम पुत्र चिमनाराम जाति जाट, निवासी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर		पूर्णाराम पुत्र देवाराम जाति जाट, निवासी बान्दरा तहसील बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।
2. अधिवक्ता प्रतिवादी – श्री सुनिल के मेराजा।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 09.06.2025

वादी के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी की संयुक्त एवं अविभाजित खातेदारी की भूमि मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 339 / 265 रकबा 6.7663 हैक्टेयर की आयी हुई है। उक्त वादग्रस्त आराजी के मूल खातेदार जवारा पुत्र सुराराम निम्बला द्वारा दिनांक 04.06.1987 को जरिये पंजीबद्ध विक्रय पत्र द्वारा वादी व वादी की पत्नी मानीदेवी एवं प्रतिवादी को बैचान किया गया है, जिसमें प्रत्येक का हिस्सा 1/3 – 1/3 निहित था। वक्त खरीद वादग्रस्त आराजी साजीतड़ा में थी, बाद में विरधसिंह की ढाणी का नवसृजन होने से वर्तमान मे भूमि विरधसिंह की ढाणी में स्थित है। वादी की पत्नी मानीदेवी का दिनांक 16.07.2016 को देहांत होने पर उनका विरासती नामांतरकरण पारित करवाया गया, जिसमें मानीदेवी का नाम हटाया जाकर रेकर्ड में वादी का 2/3 खातेदारी हिस्सा दर्ज किया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 खातेदारी हिस्सा यथावत रखना था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा गलत हिस्से दर्ज करते हुए वादी व प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2 – 1/2 खातेदारी हिस्सा दर्ज कर दिया गया। जिसकी जानकारी वादी को होने पर हल्का पटवारी द्वारा समक्ष न्यायालय में हिस्सा सही करवाने की सलाह दी गई। मौके पर वादी 2/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी 1/3 हिस्सा पर शांतिपूर्वक काश्त करते आ रहे है, लेकिन वर्तमान में प्रतिवादी राजस्व रेकर्ड में दर्ज उक्त गलत प्रविष्टि का सहारा लेकर वादग्रस्त आराजी से वादी को बेदखल करने पर आमादा होने तथा अपने विधिक हिस्सा से अधिक भूमि का बैचान करने पर आमादा होने से वादी द्वारा अपना सही खातेदारी हिस्सा घोषित करवाने का विधिक अधिकारी होने से वादग्रस्त आराजी में 2/3 खातेदारी हिस्से की घोषणा करवाने हेतु पेश किया गया है।

वाद पंजीयन किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी की तलबी की गई। प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता द्वारा सहमति जवाबदावा प्रस्तुत कर उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में दर्ज गलत खातेदारी हिस्सों को निरस्त किया जाकर उसके स्थान पर वादी का 2/3 खातेदारी हिस्सा तथा स्वयं प्रतिवादी का 1/3 खातेदारी हिस्सा घोषित किये जाने बाबत सहमति प्रदान की गई है। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं का बयान गवाह शपथ पत्र पेश किया गया।

वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वादी का वाद स्वीकार किया जाकर तदनुसार विवादित आराजी में वादी के 2/3 खातेदारी हिस्से की घोषणा का निवेदन किया गया। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा भी वादपत्र के तथ्यों की ताईद करते हुए विवादित आराजी में वादी के 2/3 खातेदारी हिस्सा की घोषणा के साथ साथ प्रतिवादी के 1/3 खातेदारी हिस्सा की घोषणा का निवेदन किया गया।

हमने वाद के तथ्यों पर उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। चूंकि वादी एवं प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी के रेकर्डेड खातेदार है। पूर्व में उक्त खातेदारी में 3 खातेदार थे, जिनका बराबर खातेदारी हिस्सा दर्ज था। बाद में वादी की पत्नी मानीदेवी का देहांत होने पर उनका विरासती नामांतरकरण पारित

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:30 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

करवाया गया, जिसमें मानीदेवी का नाम हटाया जाकर रेकर्ड में वादी का 2/3 खातेदारी हिस्सा दर्ज किया जाकर एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 खातेदारी हिस्सा यथावत रखना था लेकिन हल्का पटवारी द्वारा गलत हिस्से दर्ज करते हुए वादी व प्रतिवादी प्रत्येक का 1/2 – 1/2 खातेदारी हिस्सा दर्ज कर दिया गया, जिसे वादी सही करवाने का विधिक अधिकारी है। प्रतिवादी की ओर से सहमति जवाबदावा पेश कर गलत खातेदारी हिस्सों की सही घोषणा किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई है। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा भी वादग्रस्त आराजी में वादी का 2/3 खातेदारी हिस्सा एवं प्रतिवादी का 1/3 खातेदारी हिस्सा दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। अतः वादग्रस्त आराजी में गलत खातेदारी हिस्से दर्ज होने तथा वादी अपने सही खातेदारी हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी होने से वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 339/265 रकबा 6.7663 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रेकर्ड में वर्तमान में दर्ज गलत खातेदारी हिस्सों को निरस्त किया जाकर वादग्रस्त आराजी में वादी का 2/3 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी का 1/3 खातेदारी हिस्सा घोषित किया जाता है। तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 11:47:50 IST
Reason: SelfAttested